पंजाब केसरी, नई दिल्ली, 11 मई 2013

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता योजना
वर्ष 2013-2014

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभिलेखों/पाण्डुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, अभिलेखीय छापा चित्रों प्रिंट्स, (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफ) एवं इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की मार्ग-दर्शिका के संकलन, प्रकाशन, सूचीकरण, सूची पत्रीकरण, मरम्मत, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन, दस्तावेज कक्षों की एयरकंडीशनिंग, रेप्रोग्राफी तथा संरक्षण सामग्रियों तथा कम्प्यूटर की खरीद तथा भवन निर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन/नवीकरण के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा रुपए 50 लाख (पचास लाख) है, जो कि 75:25 के अनुपात में दी जाती है, जिसमें परियोजना की पूरी लागत में केन्द्रीय सरकार का अंशदान 75% तथा राज्य सरकार का अंशदान 25% होता है।

वे अभिलेख जिनकी अनुदान समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सिफारिश की गई, उन्हें एकमुश्त 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहां पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली–110001 को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर अवश्य भेज दिए जाएं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in देखें।

davp 09108/11/0001/1314

Hindustan Times, New Delhi, 11 May 2013

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

FINANCIAL ASSISTANCE TO STATE/UNION TERRITORY ARCHIVAL REPOSITORIES, GOVERNMENT LIBRARIES AND MUSEUMS
2013-2014

Applications are invited from State Government/Union Territory Administrations Archival Repositories, Government Libraries and Museums for Financial Assistance under the above scheme for preservation/conservation/repair, publication, listing, cataloguing, compilation of guide, microfilming and digitization of records/ manuscripts/rare books, archival photographs, prints (including oleographs and lithographs) and electronic records, air-conditioning of muniment rooms, purchase of computer, materials/equipments for reprography/conservation and for construction/ addition/alteration/renovation of the building.

The maximum limit of financial assistance extended under the Scheme is up to 50.00 lakhs (Rupees Fifty lakhs only) in the ratio of 75:25 (i.e. Central Government's Share 75% and that of State Government's share 25%) of the total cost of the project.

A one time financial assistance up to 50.00 lakhs may be provided in respect of the archival records which are recommended as records of National Importance by an Expert Committee to be constituted by the Grants Committee.

Application duly recommended by the State Level Screening Committee where already existing/State Government in the prescribed proforma may be forwarded to the Chairman, Grants Committee & Director General, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001 within 30 days of the publication of this advertisement in Employment News.

For details please visit National Archives of India website **www.nationalarchives.nic.in**

davp 09108/11/0001/1314

---

11 मई 2013 दैनिक जागरण, नई दिल्ली

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, सरकारी पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के लिये वित्तीय सहायता योजना
वर्ष 2013-2014

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अभिलेखों/पाण्डुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों, अभिलेखीय छाया चित्रों, प्रिंट्स, (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफ) एवं इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की मार्ग-दर्शिका के संकलन, प्रकाशन, सूचीकरण, सूची पत्रीकरण, मरम्मत, परिरक्षण, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन, दस्तावेज कक्षों की एअर-कंडीशनिंग, रेप्रोग्राफी तथा संरक्षण सामग्रियों तथा कम्प्यूटर की खरीद तथा भवन निर्माण/ परिवर्धन/ परिवर्तन/नवीकरण के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा रुपए 50 लाख (पचास लाख) है, जो कि 75:25 के अनुपात में दी जाती है, जिसमें परियोजना की पूरी लागत में केन्द्रीय सरकार का अंशदान 75% तथा राज्य सरकार का अंशदान 25% होता है।

वे अभिलेख जिनकी अनुदान समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सिफारिश की गई, उन्हें एकमुश्त 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहां पहले से गठित है/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संस्तुति के साथ आवेदन अध्यक्ष, अनुदान समिति एवं अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर अवश्य भेज दिये जाएं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय अभिलेखागार की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in देखें।

डीएवीपी 09108/11/0001/1314

Times of India 11 may 2013

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

FINANCIAL ASSISTANCE TO STATE/UNION TERRITORY ARCHIVAL REPOSITORIES, GOVERNMENT LIBRARIES AND MUSEUMS
2013-2014

Applications are invited from State Government/Union Territory Administrations Archival Repositories, Government Libraries and Museums for Financial Assistance under the above scheme for preservation/ conservation/ repair, publication, listing, cataloguing, compilation of guide, microfilming and digitization of records/ manuscripts/ rare books, archival photographs, prints (including oleographs and lithographs) and electronic records, air-conditioning of muniment rooms, purchase of computer, materials/ equipments for reprography/ conservation and for construction/addition/ alteration/ renovation of the building.

The maximum limit of financial assistance extended under the Scheme is upto ₹ 50.00 lakhs (Rupees Fifty lakhs only) in the ratio of 75:25 (i.e. Central Government's Share 75% and that of State Government's share 25%) of the total cost of the project.

A one time financial assistance upto ₹ 50.00 lakhs may be provided in respect of the archival records which are recommended as records of National Importance by an Expert Committee to be constituted by the Grants Committee.

Application duly recommended by the State Level Screening Committee where already existing/ State Government in the prescribed proforma may be forwarded to the Chairman, Grants Committee & Director General, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110001 within 30 days of the publication of this advertisement in Employment News.

For details please visit National Archives of India website **www.nationalarchives.nic.in**

davp 09108/11/0001/1314